


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. A/1648

Jabalpur, dated 24.5.2016.

Copy of the Notification of the Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs F.No.1-2-90-XXI B(1)1511/2016, Bhopal, dated 16.5.2016, issued as per the provisions of Section 14(1) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information of the Registrar General,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Betul, Chhatarpur, Morena, Sagar and Vidisha for information and necessary action.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.


(Vivek Saxena)
O.S.D.(D.E.)

1047



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 मई, 2016

फा.क्र.1-2-90/21-ब(एक)1511/2016-अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90/21-ब(एक), दिनांक 30 जनवरी, 1990 को, जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में से प्रत्येक के लिए उस तारीख से, जिसको कि उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ किए जाने वाले न्यायाधीश, उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करता है, अर्थात्:-

1. बैतूल
2. छतरपुर
3. मुरैना
4. सागर
5. विदिशा

2. उपरोक्त पाँच जिलों के विशेष न्यायालयों में, उपरोक्त पैरा-1 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की तारीख को लम्बित समस्त मामले, पैरा-1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जाएंगे।

F.NO.1-2-90-XXI B(1)1511/2016- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (NO.33 of 1989) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90/XXI-B(1), dated 30th January, 1990 so far as it relates to the establishment of the Exclusive Special Court in the following districts, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, establish for each of the following districts an Exclusive Special Court from the date on which the Judge to be posted by the High Court to the concerned Exclusive Special Court assumes the charge of his office in the said Court, to try the offences under the said Act, namely:-


17 MAY 2016

Electricity Notification Page 3 of 4

**REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR**

o.s.d. (D.E.)

1/2/1

1. Betul
2. Chhatarpur
3. Morena
4. Sagar
5. Vidisha

2. All cases pending in the Special Court of the above five districts on the date of establishment of Exclusive Special Court under para-1, shall stand transferred to the Exclusive Special Court established under para-1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शारान विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 1-2-90/21-ब(एक)1511/2016

गोपाल, दिनांक..... मई, 2016

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. A/1195/III-6-350-
XI, दिनांक 18.04.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शारान, गोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शारान, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, गोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल, छतरपुर, मुरैना, रायसेन एवं विदिशा (म.प्र.),
5. उप नियंत्रक, शारान कन्द्रीय मुद्रणालय, गोपाल,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग-1) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

() केवल मुद्रणालय के लिये।

6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,गोपाल की ओर अविस्मृतनी की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वाणी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शारान विधि और विधायी कार्य विभाग